[नम्]बर व तारीख
[अ]हकाम जो इस
[मु]कदमे की तामील
जारी हुए

<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर</u>

अपील संख्या – 47/23 GCMS NO 2023/117

कानजी पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. बन्नू उर्फ बानू पुत्र श्योराम जाति गुर्जर निवासी छाहरा तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील गंगापुर सिटी

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 91/15 निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी)

अभिभाषक अपीला0 श्री श्याम मोहन शर्मा
अभिभाषक रैस्पो0 श्री राधेश्याम बैष्णव

दिनांक 02.04.2025

<u>निर्णय</u>

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिकी दिनांक 14.11.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने एक दावा विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहखातेदारी की भूमि खसरा न0 261 रकबा 0.01 है0, 262 रकबा 0.37 है0, 303 रकबा 0.66 है0, 304 रकबा 0.02 है0 1997 रकबा 0.43 है0 ग्राम चूली एवं खसरा न0 602 रकबा 0.19 है0 , 603 रकबा 1.15 है0 ग्राम सलेमपुर मे स्थित है। इस भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने अपने हिस्से अनुसार काश्त करते चले आ रहे है । वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की मां नारायणी बेवा श्योराम का इन्तकाल हो चुका है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 नारायणी बेवा श्योराम के एक मात्र वारिस है। पक्षकारो ने भूमि को अपने अपने हिस्से अनुसार अलग अलग बांट रखा है। इसी अनुसार काश्त करते चले आ रहे है। भूमि सहखातेदारी की होने से आये दिन विवाद बना रहता है। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को राजस्व अभियान के दौरान भूमि विभाजन कराने को कहा परन्तु प्रतिवादी ने आनाकानी की एवं भूमि विभाजन मे कोई रूचि नही दिखाई। इस कारण दावा विरूद्व प्रतिवादी डिकी किया जाकर भूमि खसरा न0 261 रकबा 0.01 है0, 262 रकबा 0.37 है0, 303 रकबा 0.66 है0, 304 रकबा 0.02 है0 1997 रकबा 0.43 है0 ग्राम चूली एवं खसरा न0 602 रकबा 0.19 है0 , 603 रकबा 1.15 है0 ग्राम सलेमपुर का वादी एवं प्रति[illegible] संख्या 1 के मध्य मीटस एण्ड बाउन्डस से विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 को स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जावे कि वह वादी के हिस्से के कब्जे काश्त मे ना तो स्वयं बाधा पैदा करे ना ही अन्य [illegible] करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा [illegible] पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से परे होने से निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जल्दवाजी मे अपीलाधीन निर्णय व डिकी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य की कोई विधिक तुलना नही कर कानूनी प्रावधानो के विपरीत जाकर पारित की है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही पारित किया है। जो निरस्त योग्य है। अदालत मातहत द्वारा अंतिम डिकी दिनांक 14.11.22 को पारित की है इसमे बंटवारा स्कीम तैयार की गई है इससे पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस जारी नही किया गया उनकी मौजूदगी मे तैयार नही की गई तथा तहसील कार्यालय मे पटवारी हल्का द्वारा साज कर तैयार की गई है। जबकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मंडल द्वारा कई नजीरो मे स्पष्ट मत पारित किया है कि बंटवारा स्कीम पक्षकारो की मौजूदगी मे तहसीलदार द्वारा तैयार की जानी चाहिए। उक्त प्रकरण मे हल्का पटवारी द्वारा गलत रूप से रेस्पो0 से साज कर बंटवारा स्कीम तैयार की है तथा इस पर यह अंतिम डिकी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की है। जबकि वास्तविकता यह है कि मौके पर कोई बंटवारा स्कीम तैयार नही की है रेस्पो0 उक्त निर्णय की आड मे अपीलांट को उसके कब्जे काश्त की भूमि को हडपना चाहता है। इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय व डिकी अपास्त योग्य है। वास्तविकता यह है कि श्योराम के तीन पुत्र थे। बन्नू, कानजी एवं बाबूलाल तथा अपीलांट के पिता का देहान्त सन 1993 मे हो चुका था। बाबूलाल अविवाहित व विकलांग था जिसने उत्तराधिकारी बतौर सुरेश पुत्र कानजी को सामाजिक रीति रिवाज अनुसार गोद ले लिया था। आकस्मिक रूप से बाबूलाल की मृत्यु हो जाने तथा श्योराम ने अपने तीनो पुत्रो को अपनी खातेदारी कृषि भूमि को विभाजित कर दी थी इस प्रकार रेस्पो0 न0 1 ने बाबूलाल के पुत्र को पक्षकार नही बनाया गया। जबकि जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 मे अंकित नामा0 संख्या 235 दिनांक 10.5.93 व नामा0 संख्या 195 दिनांक 1.6.92 के द्वारा मृतक श्योराम की विरासत अपीलांट रेस्पो0 व बाबू के नाम दर्ज हुई है। लेकिन किस आधार पर बाबू का नाम राजस्व रिकार्ड से हजफ कर दिया । यह कही भी स्पष्ट नही किया गया। इसके अलावा श्योराम के एक पुत्री गुलाब भी मौजूद थी। जमाबंदी सम्वत 2074 मे ग्राम सलेमपुर की भूमि मे सहखातेदारी मे गुलाब के नाम का अंकन जिसे नामा0 संख्या 963 दिनांक 3.5.18 के हकत्याग द्वारा दर्शाया गया है इससे स्पष्ट है कि वादी द्वारा वर्ष 2015 मे वाद पत्र पेश किया है तथा वादी ने गुलाब का नाम वाद पत्र मे नही दर्शाया है इससे स्पष्ट है कि वादी रेस्पो0 संख्या 1 ने साज कर उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी प्राप्त की है। जो प्रारंभ से ही शून्य अ[illegible] श्रेणी मे आती है। इस प्रकार वाद पत्र के लिए समस्त आधार आपस मे विरा[illegible] [illegible] गौर किये बिना उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय व डिकी निरस्त योग्य है। अपीलाधीन [illegible] व डिकी की कोई सूचना अपीलार्थी को नही थी। दिनांक 22.7.23 को बाबू के पोते जीतू पुत्र [illegible]श ने खाते की नकल हेतु जमाबंदी देखी

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:05 IST
Reason: SelfAttested

तब मालूम हुआ कि खेतो का विभाजन होकर जमाबंदी मे दर्ज हो गया है। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त की जाकर जानकारी से अपीलांट की अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.22 को अपास्त फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस मे तर्क दिया कि विवादित आराजीयात संयुक्त खातेदारी की आराजीयात होने से पक्षकारो के मध्य आये दिन विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय मे बंटवारे का वाद पेश किया गया था। पक्षकारो द्वारा आपसी सहमति से अपने अपने हिस्से पर फसल काश्त कर रहे है। भूमि सहखातेदारी की होने एवं विधिवत बंटवारा नही होने के कारण ही विभाजन कराना न्याय हित मे आवश्यक है। भूमि का विभाजन विधिवत कराने हेतु वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा वाद पत्र पेश किया गया था। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा अदालत मातहत मे दिनांक 17.10.16 को उपस्थित होकर वाद पत्र प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्राथमिक डिक्री अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित की गई। यदि अपीलांट प्राथमिक डिक्री से व्यथित था तो उनको तत्समय ही अपील पेश करनी चाहिए थी। जो उनके द्वारा नही की गई है। अपीलांट द्वारा दौराने प्राथमिक डिक्री यह कथन नही किया कि मृतक श्योराम के तीन पुत्र थे। बाबूलाल को वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही बनाया गया। जबकि इस बात का उज्र अपीलांट को प्राथमिक डिक्री के समय ही करन चाहिए था। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन साबित नही होता है। इसी प्रकार अपीलांट का कथन रहा कि अपीलांट को मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नही दिया गया। जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे जानबुझकर कोई मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य पेश नही किया गया । अपीलांट का कथन रहा कि बंटवारा स्कीम पटवारी हल्का द्वारा बनाई गई है जो राजस्व मंडल के नियम 21 के विरूद्व है। जबकि पत्रावली मे उपलब्ध बंटवारा स्कीम दिनांक 25.12.20 पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है। बंटवारा स्कीम मौके पर वादी एवं प्रतिवादी को पढकर सुनाई गई है जिस पर गांव के स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर कराये गये है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन मनगढन्त है। पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत मीटस एण्ड बाउन्डस के आधार पर एवं राजस्व मंडल अजमेर के नियम 21 की पालना करते हुए बंटवारा स्कीम तैयार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय को प्रेषित की गई है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानो के तहत ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया गया । जिससे यह तथ्य सामने आये कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि है। जो कि जमाबंदी सम्वत 2070 से 2078 तक संयुक्त खातेदारी की आराजीयात का विधिवत बंटवारा नही हुआ है। विधिवत बंटवारे के बिना किसी भी खातेदार का हिस्सा तय नही होता है। अधिनस्थ न्यायालय मे वादी/रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दावे मे प्राथमिक डिक्री दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kanwar Baloti
Date: 2025.10.10 13:42:05 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

17.10.16 को वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति दिये जाने पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। अपीलांट का कथन रहा कि विभाजन स्कीम केवल मात्र पटवारी हल्का द्वारा तैयार की गई है । पत्रावली मे उपलब्ध विभाजन स्कीम के अवलोकन से स्पष्ट है कि विभाजन स्कीम पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौके पर जाकर तैयार की गई है जिस पर स्वतंत्र गवाहो के हस्ताक्षर होना इस बात को प्रमाणित करते है। इस प्रकार अपीलांट का यह कथन सिद्ध नही होता है। अपीलांट का कथन रहा कि मृतक श्योराम के तीन पुत्र थे परन्तु अपीलांट द्वारा इस संबंध मे किसी प्रकार का कोई साक्ष्य सबूत पेश नही किया है जिससे की यह सिद्ध हो सके कि मृतक श्योराम के दो पुत्र नही होकर तीसरा पुत्र बाबूलाल भी था। पत्रावली मे संलग्न जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 मे विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त खातेदारी की आराजीयात है। जिसे विधिवत बंटवारा कराने का अधिकार वादी को प्राप्त होने से ही वादी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षो की सहमति से दिनांक 17.10.16 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार से विवादित आराजीयात की रिकार्ड एवं मौके की स्थिति के अनुसार कुरेजात प्राप्त की जाकर, प्राप्त कुरेजात अनुसार विधिवत रूप से वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया है। जिसमे किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यतता प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी के प्रकरण संख्या 91/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.11.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

अपील अधिकारी (राजस्व) सवाई माधोपुर राजस्थान

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:42:05 IST
Reason: SelfAttested